

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

पत्रांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3- 1457

/पटना, दिनांक :- 14.05.2019

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
सह सदस्य सचिव, संबद्धन समिति,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

Principal
Girija Devi Polytechnic College, Bihiya, Bhojpur (200)

विषय :- Girija Devi Polytechnic College, Bihiya, Bhojpur (200) को सत्र 2019-2020 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना से औपबंधिक संबद्धन का विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के संबद्धन समिति द्वारा दिनांक-14/05/2019 के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार Girija Devi Polytechnic College, Bihiya, Bhojpur (200) को अभातशिप से प्राप्त अनुमोदन पत्रांक-F.No.-Northern/1-4260561273/2019/EOA dt.-10.04.2019 में अंकित शाखाओं का, शैक्षणिक अनुश्रवण समिति द्वारा दिनांक-16.04.2019 के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2019-2020 के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना से निम्नलिखित शर्तों के साथ औपबंधिक संबद्धन विस्तारित की जाती है।

- (1) संस्थान को समय-समय पर निर्गत विभागीय एवं अभातशिप-निदेश का पालन करना होगा।
- (2) संस्थान को पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं ऐकेडमिक कैलेण्डर का अनुपालन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के निदेशानुसार सुनिश्चित करना होगा।
- (3) विभागीय अधिसूचना संख्या-2143, दिनांक-12/10/07 द्वारा अधिसूचित संबद्धता Norms & Guidelines में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना संस्थान का दायित्व होगा :-
 - i. प्रत्येक निजी संस्थानों के वेबसाईट पर संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/अनुदेशक/लिपिक/प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान एवं तकनीकी) आदि का नाम, फोटो, पदनाम के साथ upload किया जाए।
 - ii. सभी निजी संस्थानों के प्राचार्य को यह निदेश दिया जाता है कि संस्थान के निरीक्षण के क्रम में सभी कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान में उपस्थित रहेंगे।
 - iii. निरीक्षण के क्रम में प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपलब्ध उपकरणों की सूची निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाए एवं एक प्रति S.B.T.E. को भी उपलब्ध कराया जाए।
 - iv. संस्थान के प्राचार्य, प्रयोगशाला/कर्मशाला/वर्गाध्ययन कक्ष पूरी तरह से well maintained and update रखेंगे।
 - v. S.B.T.E. के वेबसाईट पर उपलब्ध प्रयोगशाला/कर्मशाला हेतु उपकरणों की सूची के अनुसार सभी निजी संस्थान अपने प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपकरण/मशीन आदि अधिष्ठापित करेंगे।
 - vi. संस्थान के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक समीक्षा एवं कार्रवाई संस्थान अपने स्तर से करेंगे।

(4)

Deficiency	~	NIL
------------	---	-----

- 4.1 त्रुटि निराकरण के शर्त के साथ समिति द्वारा सत्र 2019-2020 के लिए औपबंधिक संबद्धन विस्तारित की जाती है।
- (5) सत्र 2019-2020 में Letter of Approval (LOA) के बिना नामांकित छात्रों का राज्य प्रावैधिक शिक्षा पषद द्वारा निबंधन नहीं किया जाएगा।
- (6) सत्र 2019-2020 के लिए ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्गत Letter of Approval (LOA) में अंकित त्रुटियों का निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,


परीक्षा नियंत्रक,

सह सदस्य सचिव, संबद्धन समिति।


15.08.19